

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2017


जयपुर, दिनांक : 04.08.2017

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.07.2017 के क्रम संख्या 9 के द्वारा डा. जगदीश मीणा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डौन सिटी, करौली से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडाभीम, करौली में कार्य व्यवस्था के तहत लगाया गया था, को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

फलस्वरूप डा. जगदीश मीणा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डौन सिटी, करौली में यथावत पदस्थापित रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडाभीम, करौली में नवीन पी. जी. पूर्ण कर आये चिकित्सकों में से एक चिकित्सक को लगाने की व्यवस्था करावें।
- 4- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन भरतपुर
- 5- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली
- 6- संबंधित अधिकारी
- 7- कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
- 8- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।

  
(मोहन लाल वर्मा)  
शासन सहायक सचिव